Regarding removal of encroachment on land earmarked for development of Sabeya airport in Gopalganj district, Bihar-laid

डॉ. आलोक कुमार सुमन (गोपालगंज): मेरे संसदीय क्षेत्र गोपालगंज के हथुआ अनुमंडल में सबेया एयरपोर्ट जो कि रक्षा मंत्रालय के रक्षा संपदा के अधीन है उसे ?उड़ान योजना? में शामिल कर लिया गया है। जिसमें डिफेंस इस्टेट ऑफिसर, दानापुर द्वारा 1011 अतिक्रमणकारियों की पहचान की गई है जो 338.66 एकड़ क्षेत्र पर कृषि उपयोग और कच्चा/पक्का निर्माण के रूप में है। एयरलाइन कंपनियों का कहना है कि जब तक अतिक्रमण को खाली नहीं करा लिया जाता तब तक बोली की प्रक्रिया में भाग नहीं लेगी । जिसके कारण रक्षा मंत्रालय एवं नागर विमानन मंत्रालय को भी एयरपोर्ट का कार्य शुरू करने में असुविधा है । जबकि माननीय रक्षा मंत्री जी द्वारा दिनांक 21 जून 2022 को पत्र के माध्यम से मुझे सूचित किया गया है कि रक्षा संपदा अधिकारी, दानापुर द्वारा भूमि का विवरण एस.डी.ओ हथुआ को प्रदान किया जा चुका है। लेकिन अनुमंडल पदाधिकारी, हथुआ का कहना है कि संबंधित आदेश की प्रति एवं आदेश से संबंधित भूमि की पूरी नहीं बल्कि अधूरी विवरण अभी तक रक्षा संपदा अधिकारी दानापुर द्वारा उपलब्ध कराई गई है । दिनांक 10 एवं 15 जुलाई 2023 को अतिक्रमण खाली कराने के पक्ष में समाहरणालय गोपालगंज में बैठक में भाग लेने के लिए रक्षा संपदा अधिकारी दानापुर को डीएम गोपालगंज के द्वारा आमंत्रित किया गया था ताकि सभी बिंदुओं पर विचार विमर्श करके अतिक्रमण को खाली कराया जा सके। रक्षा संपदा अधिकारी, दानापुर द्वारा इस बैठक में भाग नहीं लिया गया । फलस्वरूप उपरोक्त बिंदुओं पर परिचर्चा नहीं हो सकी। यह इनकी उदासीनता एवं लापरवाही प्रतीत होती है । मैं माननीय रक्षा मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि समय पर अतिक्रमण हटाने के लिए दानापुर के रक्षा संपदा अधिकारी को निर्देश दिया जाए कि पूरे कागजात सहित समाहर्ता गोपालगंज के साथ बैठक में भाग लेकर अतिक्रमण हटाने की दिशा में जिला प्रशासन गोपालगंज के साथ सार्थक प्रयास किया जाय एवं उड़ान स्कीम के तहत आँपरेशन एक्टिविटी एवं बोली की प्रक्रिया शुरु की जा सके ।